अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट केस रो बनाम वेड

22 जनवरी 1973 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने रो बनाम वेड मामले में फैसला सुनाया कि **गर्भपात का अधिकार एक मूल अधिकार है।**

- न्यायालय ने फैसला सुनाया कि **निजिता के संवैधानिक अधिकार** में महिला का **यह चुनने का अधिकार भी शामिल है कि उसे गर्भपात कराना है या नहीं।** न्यायालय ने एक महिला के गर्भ को समाप्त करने की क्षमता पर **निजिता** और **स्वतंत्रता** के संवैधानिक सिद्धांतों को लागू किया।
- हालाँकि सिरकार अभी भी **गर्भावस्था के चरण** के आधार पर गर्भपात को विनियमित या प्रतिबंधित कर सकती है।
  - इस फैसले में यह भी कहा गया है कि कोई व्यक्ति **भ्रूण के व्यवहार्य अवस्था में आने तक** गर्भपात का विकल्प चुन सकता है, जो आमतौर पर गर्भधारण के 24 से 28 सप्ताह के बीच होता है।
- रो बनाम वेड से पहले, पूरे देश में गर्भपात अवैध था। वर्ष 1973 के फैसले के बाद से **कई राज्यों ने गर्भपात के अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया।**
- सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2022 में रो बनाम वेड के फैसले को पलटते हुए फैसला सुनाया कि अब गर्भपात कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। कोर्ट ने **मिसिसिपी के उस कानून को बरकरार रखा जिसमें गर्भावस्था के 15 सप्ताह के बाद के गर्भपात पर प्रतिबंध लगाया गया।**
- इस फैसले ने 50 साल पुरानी कानूनी स्थिति को पलटते हुए अलग-अलग राज्यों के लिये **गर्भपात के अधिकारों में कटौती या प्रतिबंध लगाने का मार्ग प्रशस्त किया।**

और पढ़ें: यूएस रो बनाम वेड केस 1973

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/us-supreme-court-case-roe-v-wade